

(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं।		
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं	18	-”

[फा. सं. 354/173/2017—टी.आर.यू.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 08/2017, एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 683 (अ.), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 22 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1049 (अ.) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

No. 24/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of –		
(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;	12	-
(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or		

(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.		
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	18	—”.

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 20/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1049(E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 25/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1183(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं”.

[फा. सं. 354/173/2017-टी.आर.यू.]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 684(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1050(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।